



**POLICE COMMISSIONERATE**



**PRAYAGRAJ**

## **सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 24.05.2026**

### **थाना कर्नलगंज, पुलिस द्वारा वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना कर्नलगंज पुलिस थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2026 धारा 352/351(3)/64(1)/75 बी0एन0एस0 व 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त ओम चन्द पटवा पुत्र स्व0 हीरालाल पटवा नि0 म0नं0 1137 पुराना कटरा थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 24.05.2026 को लक्ष्मी टाकीज फल मण्डी के पास थाना क्षेत्र कर्नलगंज से गिरफ्तार किया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

ओम चन्द पटवा पुत्र स्व0 हीरालाल पटवा नि0 म0नं0 1137 पुराना कटरा थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 38 वर्ष।

#### **सम्बन्धित अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 152/2026 धारा 352/351(3)/64(1)/75 बी0एन0एस0 व 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

## **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ०नि० अनुराग मिश्रा थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. रि०का० मो० समीम खान थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

## **थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु०अ०सं०-237/2026 धारा-351(2)/69 भा०न्या०सं० से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनिल कुमार बिन्द पुत्र बिहारी लाल निवासी रिगदापुर उपरदहा थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-24.05.2026 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत बरौत स्थित नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया तथा कही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हण्डिया पर मु०अ०सं०-237/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था ।

## **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

अनिल कुमार बिन्द पुत्र बिहारी लाल निवासी रिगदापुर उपरदहा थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 23 वर्ष ।

## सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-237/2026 धारा-351(2)/69 भा0न्या0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अनूप सरोज, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ0नि0 रामानुज सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ0नि0 ब्रजेश सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. हे0का0 रियाज खाँ, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

## थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-188/2026 धारा-137(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ऊदल पुत्र गढा निवासी ग्राम सागरपुर थाना सुरियांवा जनपद भदोही को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-24.05.2026 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत कस्बा हण्डिया स्थित पिलर नं0-40 के पास से गिरफ्तार किया गया । पीड़िता के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-87/65(1) भा0न्या0सं0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दिनांक-17.04.2026 को हण्डिया थाना क्षेत्र के 01 नाबालिक युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया

था, जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हण्डिया पर मु०अ०सं०-188/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

ऊदल पुत्र गढ़ा निवासी ग्राम सागरपुर थाना सुरियांवा जनपद भदोही, उम्र करीब 21 वर्ष ।

### **सम्बन्धित अभियोग का विवरण-**

मु०अ०सं०-188/2026 धारा-137(2) भा०न्या०सं० व बढोत्तरी धारा-87/65(1) भा०न्या०सं० व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

### **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्र०नि० अनूप सरोज, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. म०उ०नि० काजल पटेल, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ०नि० राममिलन यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. का० आदित्य सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

## **थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित**

### **02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु०अ०सं०-178/2026 धारा-2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त

1. कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव पुत्र स्व० जोखू लाल यादव निवासी ग्राम बनई का पुरा बरीबोझ थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज 2. उमेश चन्द्र गुप्ता उर्फ बिल्लू पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम कोरारी थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 23.05.2026 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत धनाराम का पुरवा के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव पुत्र स्व० जोखू लाल यादव निवासी ग्राम बनई का पुरा बरीबोझ थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज है । उपरोक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु भारतीय दण्ड विधान के अध्याय-16,17 व 22 में वर्णित अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी है । गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अपने आर्थिक, भौतिक एवं बुनियादी लाभ, स्वयं व परिवार के ऐशो आराम के लिये विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहनों की चोरी कर उसके इंजन नं०, चेचिस नं० बदलकर व वाहनों के स्वरूप को बदलकर डी०जे० बनाकर उसे बेच कर अवैध तरीके से धन अर्जित करने आदि जैसे अपराधिक कृत्य किया जाता है । थाना नवाबगंज पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु०अ०सं०-178/2026 धारा-2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव पुत्र स्व० जोखू लाल यादव निवासी ग्राम बनई का पुरा बरीबोझ थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 26 वर्ष ।
2. उमेश चन्द्र गुप्ता उर्फ बिल्लू पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम कोरारी थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 40 वर्ष ।

### **सम्बन्धित अभियोग का विवरण-**

मु०अ०सं०-178/2026 धारा-2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज

## अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-540/18 धारा-380/411/457 भा0द0सं0 थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. मु0अ0सं0-151/19 धारा-60 अबकारी अधिनियम थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. मु0अ0सं0-107/20 धारा-323/504/506 भा0द0सं0 थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. मु0अ0सं0-285/23 धारा-323/427/504/506 भा0द0सं0 थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. मु0अ0सं0-364/23 धारा-147/323/324 भा0द0सं0 थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. मु0अ0सं0-151/24 धारा-379/411/413 भा0द0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
7. मु0अ0सं0-203/24 धारा-379/411 भा0द0सं0 थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
8. मु0अ0सं0-306/24 धारा-303(2)/317(2) भा0न्या0सं0 थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
9. मु0अ0सं0-308/24 धारा-303(2)/317(2)/314(4)/317(5)/336(3)/338/340(2) भा0न्या0सं0 थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
10. मु0अ0सं0-446/24 धारा-303(2)/317(2) भा0न्या0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
11. मु0अ0सं0-178/2026 धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

## अभियुक्त उमेश चन्द्र गुप्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-151/24 धारा-379/411/413 भा0द0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. मु0अ0सं0-308/24 धारा-303(2)/317(2)/314(4)/317(5)/336(3)/338/340(2) भा0न्या0सं0 थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. मु0अ0सं0-178/2026 धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सत्य प्रकाश सिंह, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. का० जय प्रकाश यादव, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का० बाल गोविन्द, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. रि०का० आशीष रंजन, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. रि०का० शुभम गुप्ता, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।